



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना किरतपुर**

दिनांक 08.06.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352/118(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री हेमेन्द्र राजपूत पुत्र सागर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर फत्ता थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी के पुत्रों द्वारा सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़े करने को लेकर अभियुक्तगण 1.शहबाज पुत्र अय्यूब 2.अकरम पुत्र वसीर 3.फिरोज पुत्र मेहंदी 4.कौसर पुत्र जमीर 5.अनु पुत्र मुन्ने 6.मुकीम व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौच करते हुए वादी के पुत्र सावन व परीक्षित पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से वार किया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 08.06.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1.शाहबाज पुत्र अय्यूब 2. फिरोज पुत्र मेहंदी निवासीगण ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. शाहबाज पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. फिरोज पुत्र मेहंदी निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 2083 राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 1734 बिट्टू कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना शिवालाकलां

दिनांक 08.06.2025

थाना शिवालाकलां पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1) / 351(3) / 352 / 352, 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री सन्दीप कुमार सैनी पुत्र हरज्ञान सिंह ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि 1. वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 2. राजवीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 3. खेम सिंह पुत्र तन्नू सिंह नि0गण ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई कुलदीप सैनी के साथ मारपीट व गाली-गलौच करते हुए एक राय होकर जान से मारने की नियत से कुलदीप के ऊपर पर कसले से वार किया, जिससे वादी के भाई को चोटे आयी व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 08.06.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त लोहे के कसले(फावडा) सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वीर सिंह उपरोक्त —

- 1— मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस थाना शिवालाकलां बिजनौर
- 2— मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
- 3— मु0अ0सं0 138 / 22 धारा 147, 323, 324, 325 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
- 4— मु0अ0सं0 226 / 20 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 425 सचिन राठी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
3. मुख्य आरक्षी 693 राहुल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 08.06.2025

थाना मंडावर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए 52 ताश के पत्ते व 2438 रु0 की नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. हरपाल पुत्र आशाराम 2. प्रेम सिंह पुत्र श्यामलाल 3. भोला पुत्र झडिया निवासी गण ग्राम सीमला खुर्द थाना मंडावर जनपद बिजनौर को जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए 52 ताश के पत्ते व 2438 रु0 नगद सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 113/25 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. हरपाल पुत्र आशाराम 2. प्रेम सिंह पुत्र श्यामलाल 3. भोला पुत्र झडिया निवासी गण ग्राम सीमला खुर्द थाना मंडावर जनपद बिजनौर को सट्टे की खाईबाडी करते हुए 52 ताश के पत्ते व 2438 रु0 नगदी सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. हरपाल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम सीमला खुर्द थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. प्रेम सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सीमला खुर्द थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. भोला पुत्र झडिया निवासी ग्राम सीमला खुर्द थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

52 ताश के पत्ते व 2438 रु0 नगद ।

आपराधिक इतिहास प्रेम सिंह उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 458/08 धारा 307/323/34/354/394/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 568/10 धारा 323/324/452/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 320/16 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 136/17 धारा 147/452/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 113/25 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. का0 1075 अजीत थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. का0 101 सुमित कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर